E-Mail: cbseff@nic.in
Website: www.cbse.nic.in

Phone: 22528257

Fax: 22540655

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,भारत सरकार के अधीन एक स्वायत संगठन
शिक्षा केन्द्र 17, इंस्टिट्यूशनल एरिया प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India)

"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110301

सं. सीबीएसई/प्रशा.1/पेंशन/चिकित्सा योजना/2012 दिनांक: 06.06.2012

कार्यालय आदेश

विषय: सीबीएसई के सेवा निवृत कर्मचारियों के संबंध में चिकित्सा नीति

इस कार्यालय के दिनांक 13.11.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. प्रशा.1/चिकित्सा/2011/19409-658 के क्रम में, बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी ने बोर्ड के पेंशन भोगियों के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ चिकित्सा नीति लागू करने का अनुमोदन दे दिया है:-

1. प्रतिपूर्ति दावों पर विचार तथा कार्रवाई केन्द्रीय रूप से सीबीएसई (मुख्या.) में की जाएगी। इलाज के बारे में पेंशनभोगी/आश्रित के विधिवत् चिपकाए गए फोटोग्राफ के साथ फार्म 'ए' संबंधित अस्पताल द्वारा प्रमाणित किया जाना है। प्रमाण पत्र 'ए' और 'बी' प्रतिपूर्ति के दावे की प्रस्तुति के समय प्रस्तुत किए जाएंगे। पेंशनभोगियों को दावे की राशि के ईपीए अंतरण के लिए बिल प्रस्तुत करते समय अपने बैंक खाते का ब्यौरा बहुत सावधानीपूर्वक देना अपेक्षित है।

2. चिकित्सा सुविधा का लाभ पात्र पेंशनभोगियों को सीजीएचएस के अनुसार दिया जाएगा। तदनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए बिल प्रस्तुत किए जाएं और उन्हें सीजीएचएस दरों के अनुसार प्रतिबंधित किया जाएगा।

3. पेंशनभोगियों को कोई अग्रिम स्वीकार्य नहीं होगा।

4. बोर्ड की चिकित्सा सुविधा का उपयोग करने के लिए जो पेंशनभोगी विकल्प फार्म प्रस्तुत कर चुके हैं उन्हें अंशदान की राशि प्रचलित दरों पर वार्षिक आधार पर भेजना आवश्यक है। चिकित्सा सुविधा लेने के लिए दिनांक 13.10.2011 से 31.12.2012 तक की अवधि के नीचे दी गई दरों के आधार पर अंशदान देना है :-

सेवा निवृति के पद का ग्रेड वेतन	अंशदान प्रतिमाह
रू. 1800, रू. 1900, रू. 2000, रू. 2400, और रू. 2800	रू. 125
रू. 4200	रू. 225
रू. 4600, रू. 4800, रू. 5400 तथा रू. 6600	रू. 325
रू. 7600 और अधिक	रू. 500

5. बोर्ड के पेंशनभोगियों के लिए कक्ष किराये की पात्रता निम्नानुसार होगी:-

बिना ग्रेड वेतन के मूल वेतन	**हकदारी**	**कक्ष किराये की अधिकतम सीमा**
रू. 13950/- तक	सामान्य वार्ड	रू. 1000/- प्रतिदिन
रू. 13960/- से रू. 13530/- तक	सेमी प्राइवेट वार्ड	रू. 2000/- प्रतिदिन
रू. 13940/- और अधिक	प्राइवेट वार्ड	रू. 3000/- प्रतिदिन

6. जैसा कि पूर्व में कार्यालय आदेश सं. प्रशा.1/मेडिकल/2011/19409-658 दिनांक 13.10.2011 दिया गया है, पेंशनभोगियों के संबंध में चिकित्सा नीति की योजना की संवीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष के बाद की जाएगी।

7. बोर्ड के साथ एम्पैनल अस्पतालों की अद्यतन सूची भी संलग्न है।

यह बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता.

(ए.एस.वर्मा.)

संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)

प्रतिलिपि:

1 बोर्ड के सभी पेंशनभोगी
2 चेयरमेन के ईओ/वैयक्तिक सचिव, सीबीएसई
3 सचिव के वैयक्तिक सचिव, सीबीएसई
4 सभी विभागाध्यक्ष, सीबीएसई
5 डीडीओ मुख्या./अनुभाग अधिकारी (पेंशन सेल)
6 बोर्ड के सभी क्षेत्रिय अधिकारी
7 विभागाध्यक्षों (आई.टी), सीबीएसई- इस आदेश को सीबीएसई की वेबसाइट के 'पेंशन कॉलम' में डालने के अनुरोध के साथ।
8 अनुभाग अधिकारी स्तर तक के सभी अधिकारीगण
9 स्क्रैप फाइल/नोटिस बोर्ड